राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक– F7(4)New Courses/Acad/CCE/2024-17900

प्राचार्य
सम्बन्धित महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– नवीन पाठयक्रम बीसीए में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में।
सन्दर्भः– आयोजना शाखा का आदेश क्रमांक एफ6(7)आयो/आकाशि/बजट घोषणा/2024–17458 पार्ट–4

महोदय,

परिवर्तित बजट घोषणा 2024–25 की अनुपालना में आदेश क्रमांक आयोजना शाखा का आदेश क्रमांक एफ 6(7)आयो/आकाशि/बजट घोषणा/2024–17458 पार्ट–4 द्वारा संलग्न सूची में उल्लेखित 7 महाविद्यालयों में नवीन पाठयक्रम बीसीए (1 वर्ग) प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राचार्य, कॉमन एडमिशन फॉर्म (CAF) के माध्यम से 15 दिवस में ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित कर प्रवेशित विद्यार्थियों के फॉर्म ऑनलाईन पोर्टल पर इन्द्राज करना सुनिश्चित करें।

प्रवेश हेतु पात्रता AICTE तथा संबद्धक विश्वविद्यालय के अनुसार तथा अन्य प्रावधान प्रवेश नीति 2024–25 के अनुसार यथावत रहेंगे। प्राचार्य संबद्धक विश्वविद्यालय तथा AICTE से संबद्धता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संयुक्त निदेशक,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, संबद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
6. तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग, जयपुर।
7. नोडल अधिकारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ऑनलाईन प्रवेश की आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
8. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक,
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर

RajKaj Ref
9830387

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.08.16 22:20:27 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग
ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–5153222, 5153223, 5153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(5)शिक्षा / ग्रुप–3 / 2024–04118 जयपुर, दिनांकः–हस्ताक्षर दिनांक

–: आदेश :–

परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 दिनांक 16.07.2024 के बिन्दु संख्या–21.2 की अनुपालना में निम्नांकित 07 महाविद्यालयों (06 सहशिक्षा व 01 कन्या शिक्षा) में नवीन BCA कोर्स प्रारंभ किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क्र.सं.	**महाविद्यालय का नाम**	**सहशिक्षा/ कन्या शिक्षा**	**बजट मद**	**पद का नाम**	**स्वीकृत पद**
1	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर	सहशिक्षा	2202-03-103-02-00	सहायक आचार्य	3
2	महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर	सहशिक्षा	2202-03-103-02-00	सहायक आचार्य	3
3	राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर	सहशिक्षा	2202-03-103-02-00	सहायक आचार्य	3
4	राजकीय महाविद्यालय जयपुर	सहशिक्षा	2202-03-103-02-00	सहायक आचार्य	3
5	राजकीय महाविद्यालय जोधपुर	सहशिक्षा	2202-03-103-02-00	सहायक आचार्य	3
6	राजकीय महाविद्यालय कोटा	सहशिक्षा	2202-03-103-02-00	सहायक आचार्य	3
7	राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर	कन्या शिक्षा	2202-03-103-03-00	सहायक आचार्य	3
				कुल	21 **पद**

1. उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में नवीन BCA कोर्स प्रारम्भ करने हेतु सृजित सहायक आचार्य के कुल 21 नवीन पद वित्त विभाग की आई.डी. सं. 102101918 दिनांक 21.05.2021 में प्रदान किये गये परामर्श अनुसार गठित राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगें।
2. सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबंल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।
3. अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय को वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152401695 दिनांक 14.08.2024 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

RajKaj Ref
9815059

Signature valid
(डॉ. अनुजा सक्सेना)
संयुक्त सचिव
Digitally signed by Anuja Saxena
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.08.15 21:21:50 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव

RajKaj Ref
9815059

Signature valid

Digitally signed by Anu Saxena
Designation: Joint Secretary
Date: 2024.08.15 2?:21:50 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 6(7) आयो/आकाशि/बजट घोषणा/2024-17458 पार्ट 4

विषय:- माननीया उप मुख्यमंत्री(वित्त), महोदया द्वारा परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में सामान्य वाद-विवाद पर की गयी घोषणा दिनांक 16 जुलाई 2024 के बिन्दु संख्या 21.2 की अनुपालना में 07 महाविद्यालयों (06 सहशिक्षा व 01 कन्या) में BCA पाठ्यक्रम खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- शासन उप सचिव-प्रथम का पत्रांक प.6(5)शिक्षा/ग्रुप-3/2024-04118 दिनांक 15.08.2024

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ:

1 संयुक्त सचिव, कार्यालय, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, कार्यालय, माननीय उपमुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, कार्यालय, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर खोले गये BCA पाठ्यक्रम को सम्बद्ता प्रदान करने का श्रम करें।
2 संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है स्वीकृतिनुसार राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर खोले गये BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3 संयुक्त निदेशक, एचआरडी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4 संयुक्त निदेशक, प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5 प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि स्वीकृतिनुसार स्नातक स्तर पर खोले गये BCA पाठ्यक्रम (01 वर्ग) की संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही करे।
6 वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत।
7 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
9820044

Signature valid
Digitally signed by Vijendra Kumar Sharma
Designation : Joint Director
Date: 2024.08.16 12:30:17 IST
Reason: Approved